संख्या:14/2022/1060ई-2/तेरह-2022-1631267

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक: 06 जून, 2022**

विषय:-मेसर्स करीमगंज बायोफ्यूल्स प्रा. लि., ग्राम रानी नांगल, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद को 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-173/दो-प्रा.डी.-234, दिनांक 19-05-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19-05-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स करीमगंज बायोफ्यूल्स प्रा. लि., ग्राम रानी नांगल, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद द्वारा 200 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 700 लाख लीटर क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी जिसके अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट/ अब्सोल्यूट अल्कोहल, 140 लाख लीटर वार्षिक ई.एन.ए. एवं एस.डी.एस. का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जाएगा:-

(क) इकाई द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/ नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा।

(ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 27-12-2021 द्वारा प्रदत्त जल एवं वायु हेतु कन्सेन्ट टू इस्टैब्लिश में उल्लिखित शर्तें।

(ग) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in